औद्योगिक आपदाएँ-पर्यावरण, मानव अधिकार और लोक जीवन पर प्रभाव

आपदा प्रबंधन: वैधानिक और नीतिगत प्रयास

जस्टिस डी. एम. धर्माधिकारी

स्वस्थ पर्यावरण में रहने के व्यक्ति के अधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मानव अधिकार माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन रहा है। अत: "जीवन के अधिकार" में सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार समाहित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का अंग माना है। "जीवन का अधिकार" में प्रकृति की सौगातों के संरक्षण और संवर्धन को अंगीकार किया गया है, जिसके बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार" में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण शामिल है। ऐसा स्वीकार करते समय अनुच्छेद 48-ए के तहत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों तथा अनुच्छेद 51 ए (जी) के तहत मौलिक कर्त्तव्य का संदर्भ दिया गया और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, जीवन के अधिकार का भाग माना गया।

छाया : प्रहलाद कुमार

अनुच्छेद 48-ए में सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। अनुच्छेद 51ए (जी) द्वारा मौलिक कर्त्तव्य के रूप में नागरिकों के लिए सामाजिक दायित्वों का निर्धारण किया गया है। नागरिकों में राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योग चलाने वाले शामिल हैं, जिनका दायित्व स्वस्थ पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है।

इस प्रकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए और अनुच्छेद 51 ए (जी) के तहत सरकार और नागरिकों के लिए समान रूप से परस्पर दायित्व और कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं, जिनमें कार्पोरेट उद्योग चलाने पर स्वस्थ पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का दायित्व शामिल है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का अर्थ है कि कार्पोरेट व्यवसाय अथवा किसी भी अन्य व्यवसाय का यह अंतर्निहित दायित्व है कि वह अधिकतम लाभ कमाने से आगे जाकर ऐसे आचार-व्यवहार को आत्मसात करे जिनसे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। यह दायित्व स्थानीय परिचालन स्थितियों से स्वतंत्र है और इसे व्यवसाय के ही चरित्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। कार्पोरेट दायित्व के अन्तर्गत संबंधित व्यवसाय से संबंधित कानून का कड़ाई से पालन और पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव निहित है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यवसाय में नैतिकता से संबंधित है और अपेक्षा की जाती है कि व्यापार-व्यवसाय में इसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाए, जिसे सामाजिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य व्यवहार मानकर नियंत्रित किया जाए। इसके संबंध में शासकीय नियंत्रण की आवश्यकता है और इसके साथ ही पर्यावरण वादियों तथा उनके संगठनों के सजग और सक्रिय हस्तक्षेप की जरूरत है। ये लोग कार्पोरेट संस्थाओं के अनैतिक आचरण पर रोक लगा सकते हैं, जिसका पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलने चाहिए, वरना विकास के नाम पर मानव जीवन पूरी तरह बिखर जाएगा, जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी में हुआ। कीटनाशक दवाएँ बनाने के लिए स्थापित की गई कार्पोरेट इण्डस्ट्री के खतरों से भोपाल के लोग एकदम नावाकिफ थे। वे लोग न तो इसकी कल्पना कर सकते थे और न इस खतरनाक औद्योगिक गतिविधि का प्रतिरोध कर सकते थे, जिससे

लापरवाही के चलते अत्यन्त खतरनाक गैस निकली जिसमें हजारों जानें चली गई। विकास के नाम पर ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जा सकती जिनसे अनियंत्रणीय प्रदूषण फैलता हो।

अधिकतर अन्य देशों की तरह भारत सरकार को भी बहुराष्ट्रीय निगमों को ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति देने में सजग रहना चाहिए, जो पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हों।

पर्यावरण को बचाने और इसका संरक्षण करने के लिए लोगों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि स्थापित किये जाने वाले उद्योग से कहीं मानव स्वास्थ्य और जीवन को खतरा होने की संभावना तो नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि औद्योगिक प्रगति और विकास के लिए पर्यावरण प्रदूषण कोई अत्यावश्यक हानि नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद खतरनाक प्रकृति के बहुराष्ट्रीय उद्योगों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, चाहे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से कितना भी लाभ क्यों न होता हो। भोपाल गैस त्रासदी के बाद " मास टॉर्ट" (समूह दुष्कृत्य) की कानूनी आवधारणा शुरू हुई और भारत ने प्रदूषक उद्योगों से हताहत लोगों के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी होने के न्यायिक सिद्धांत को स्वीकार किया, चाहे लापरवाही हो या नहीं।

भारत के उच्चतम न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी प्रकरणों की सुनवाई के लिए "ग्रीन बैंचों" और बहुराष्ट्रीय उद्योगों के कटु अनुभवों के बाद अब विधायिका द्वारा "ग्रीन ट्राइबुनल" की स्थापना का विचार किया जा रहा है। दुर्भाग्य से संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रारूप विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान यह है कि ऐसा ट्राइबुनल स्थापित किया जाए, जिसमें तकनीकी और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के सदस्य हों, लेकिन विधेयक में लोक स्वास्थ्य, ऑक्युपेशनल हेल्थ तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित सदस्यों का प्रावधान नहीं है।

वर्तमान में लागू सूचना का अधिकार अधिनियम को निजी क्षेत्र पर भी लागू किया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान हों। उन्हें पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बाद ही उद्योग लगाने दिया जाए। प्रत्येक नागरिक को औद्योगिक संस्थाओं अथवा नियमों की उन औद्योगिक गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए, जिनका पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इन औद्योगिक संस्थानों को इस संबंध में सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। उनके कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही होनी चाहिए। आवश्यक जानकारी के बिना, स्थानीय समुदाय अंधेरे में जीते हैं, कर्मचारी बिना जाने खतरनाक तरीके से काम करते हैं और अंशधारक बिना जानकारी के ही निवेश करते हैं।

सूचना के अधिकार के दायरे में निजी क्षेत्र की सभी औद्योगिक गतिविधियों को लाया जाना चाहिए। उद्योगों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे पर्यावरण संबंधी प्रभावों (जहरीले उत्सर्जन तथा स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य को जोखिम) के बारे में मानक रूप से घोषणाएँ करें। साथ ही वे श्रम मानकों (यह कि खतरनाक रसायनों का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बाल श्रम सहित बुनियादी श्रम संबंधी प्रथाएँ) व्यापार प्रकार (कम्पनी और सरकार के बीच अनुबंध की शर्तें) तथा समुदाय स्थानांतरण (विस्थापन, मुआवजे तथा पुनर्वास संबंधी जानकारी) की घोषणा करें।

खतरनाक सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले उद्योगों के स्थापना स्थल तथा परिचालन संबंधी सुरक्षा के संबंध में निर्णय प्रक्रिया में जन भागीदारी तथा पारदर्शिता होनी चाहिए और खबरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे एक आवश्यक उपाय के रूप में लागू किया जाए, ताकि संबंधित लोग जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें और भोपाल जैसी त्रासदी भविष्य में न हो, इसके लिए पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित हो सके।

व्यापक औद्योगीकरण तथा शहरीकरण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। हमारे देश में भोपाल गैस त्रासदी तथा ओलियम और क्लोरिन गैस रिसन दुर्घटनाएँ सिहरा देने वाले अनुभव हैं।

समुदाय के हर एक सदस्य को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि कोई उद्योग किसी जोखिमपूर्ण गतिविधि का संचालन कर रहा हो, तो वह उसके स्वामी अथवा धारक से इसकी शिकायत कर सके। प्रभावित हो सकने वाले समुदाय के प्रत्येक सदस्य को लोक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक संस्था से हस्तक्षेप का अनुरोध करने का अधिकार होना चाहिए।

प्रदूषण कर सकने वाले उद्योगों को लायसेंस देने के पहले समुदाय को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि उसे उस क्षेत्र में खतरनाक उद्योग की स्थापना, विस्तार अथवा ऐसे परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता हो। यह जानकारी व्यावसायिक अथवा आधिकारिक गोपनीयता के नाम पर छुपाई नहीं जानी चाहिए। लोक स्वास्थ्य पर होने वाले पर्यावरणीय कुपरिणाम और पर्यावरण की हानि के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आकलन विवरण समुदाय के परामर्श से तैयार किया जाए। इसके लिए विवादित मुद्दों पर समुचित बहस को अनिवार्य बनाया जाए।

भोपाल गैस त्रासदी सभी सरकारों, कार्पोरेट औद्योगिक जगत और आम जनता के लिए चेतावनी होनी चाहिए कि इस विषय पर ठोस नीति और कानून बनाए जाएँ। औद्योगिक विकास का मानव अधिकार आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन के साथ जुड़ाव होना चाहिए और जनजागरूकता के साथ-साथ स्पष्ट कानून तथा नीतिगत पहल की आवश्यकता है।

(लेखक अध्यक्ष, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल हैं।)